do website copy

दूरभाष :0755-2427092

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल–सीहोर–रायसेन, मध्य प्रदेश

"कचनार" ई–5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी,हबीबगंज पुलिस थाना के पास,भोपाल–462016

E-Mail : bhopal@mptownplan.gov.in

कमांक 5480 to 5481 /जी– /ह.अधि./जिका–भो/नग्रानि/13. भोपाल,दिनांक–21.11.2013

प्रति,

आयुक्त,
जनसंपर्क संचालनालय,
मध्य प्रदेश

संयुक्त संचालक,
जनसंपर्क,
जिला भोपाल
पुराना सचिवालय,भोपाल

विषय :– समाचार विज्ञप्ति का प्रकाशन किये जाने बाबत ।

विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मध्य क्षेत्र बेंच द्वारा दिनांक 25.10.2013 को प्रकरण कमांक–18/2013 में सुनवाई उपरांत यह निर्देश दिये गये हैं कि भोपाल नगर में संचालित मेरिज गार्डन एवं बारात घर के संबंध में अनुज्ञा दिये जाने की शर्तों का निर्धारण सभी हितबद्ध व्यक्तियों से चर्चा कर किया जावे । उक्त के परिपालन में शर्तो का प्रारूप इस कार्यालय की वेबसाईट पर आम नागरिकों, संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं समस्त हितबद्ध व्यक्तियों के अवलोकन हेतु अपलोड किया गया है । समाचार विज्ञप्ति संलग्न कर अनुरोध है कि इसे नगर के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :– विज्ञप्ति 12 प्रतियों में ।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,जिला भोपाल–सीहोर–रायसेन,मध्यप्रदेश

G:\OllParties with Email-green tribunal.doc
SKAimbalkar

//समाचार विज्ञप्ति//

"नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल ब्रांच, भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक–18/2013 नील चौधरी विरूद्ध शासन में दिनांक 25.10.2013 को सुनवाई के दौरान निर्देश" दिये गये, कि नगर में "मेरिज गार्डन एवं बारात घर इत्यादि के लिये नियोजन मापदण्डों के परिप्रेक्ष्य में नगर तथा ग्राम निवेश अनुज्ञा की शर्तों का प्रारूप" समस्त हितबद्ध व्यक्तियों से चर्चा कर तैयार करें ।

समस्त हितबद्ध व्यक्तियों से प्राप्त सुझावों एवं प्रभावशील नियमों के प्रकाश में तैयार अनुज्ञा का प्रारूप नागरिकों एवं हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश की वेबसाईट **www.mptownplan.nic.in** पर के अवलोकन किया जा सकता है ।

G:\OfParties with Email-green tribunal.doc
SKNimbalkar

दूरभाष :2427092

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल–सीहोर(मध्यप्रदेश)

"कचनार" पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल,मध्य प्रदेश (462016).

क्रमांक / /जिका/नग्रानि/2013 भोपाल,दिनांक / /2013

प्रति,

....

....

....

विषय :– ग्राम ....के खसरा क्रमांक ....
रकबा .... वर्ग मीटर पर मैरिज गार्डन की विकास अनुज्ञा बाबत् ।

संदर्भ :– आपका आवेदन दिनांक – ....

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में लेख है कि ग्राम .... के खसरा क्रमांक .... रकबा .... वर्गमीटर जिसका भूमि उपयोग भोपाल विकास योजना 2005 में निर्दिष्ट है पर संदर्भित पत्र द्वारा आवेदन पत्र दिनांक .... के संबंध में मैरिज गार्डन हेतु विकास की अनुज्ञा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 30(1)(ख) एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 27(1) के अधीन निम्न शर्तो के आधार पर प्रदान की जाती है :–

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था के अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा।
   1. मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959.
   2. मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1956/मध्यप्रदेश पंचायती राजअधिनियम 1993.
   3. मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम, 1998.
   4. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल.
   5. भू–अर्जन अधिकारी, भोपाल.
   6. एयर पोर्ट अधिकारी (मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम.......... से प्रभावित क्षेत्र में)
   7. राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय मार्ग प्राधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग/से लगी भूमि के विकास की स्थिति में)
   8. मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल.
   9. भोजवेट लैण्ड परियोजना भोपाल (बड़े तथा छोटे तालाब के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित भूमि के विकास हेतु).
   10. जल संसाधन विभाग (बांध/नहर एवं नदियों से लगी भूमि के विकास हेतु).
   11. निर्माण कार्य/विकास कार्य करने के पूर्व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से अनापत्ति लेना आवश्यक होगा।
   12. एच.टी. लाईन के नीचे कोई विकास/निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।
   13. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत या कोई अनुमति/अनापत्ति आवश्यक हो तो आवश्यक रूप से प्राप्त करें ।

2. इस विकास अनुज्ञा में किसी प्रकार का उपविभाजन मान्य नहीं होगा।
3. भवन का भूतल निर्मित क्षेत्र 10 प्रतिशत अधिकतम होगा ।
4. भवन में संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार एम.ओ.एस. रखे जावे जो कि निम्न अनुसार है:—
   - सामने से 6.00 मीटर (पार्किंग जगह के पश्चात्)
   - अन्य 3 बाजू में 4.5 मीटर
5. एफ.ए.आर. 1:0.10 तथा भवन की ऊँचाई .... मीटर से अधिक न हो।
6. पार्किंग हेतु व्यवस्था, भोपाल विकास योजना 2005 की सारणी 4—सा—16 एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 53(3)(तीन) के प्रावधानों के अनुरूप सामने न्यूनतम कुल भूमि क्षेत्र का 30 प्रतिशत पार्किंग हेतु रखना होगा।
7. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81(4) के प्रावधानों के अनुसार भूखण्ड में निर्मित होने वाले भवन में रूफ/रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रकिया अपनानी होगी । इसके पश्चात् ही भूखण्ड पर विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्थाओं के द्वारा दिया जा सकेगा। विकास योजना के पैरा 4.47 के प्रावधानों का पालन करना होगा ।
8. आपके द्वारा प्रस्तुत अक्स/बटान में किसी भी प्रकारकी विसंगति होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी ।
9. प्रस्तावित विकास अनुज्ञा के आसपास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गो एवं भूखण्डों का समायोजन किया जावे।
10. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के प्रावधानानुसार 100 वृक्ष प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के अनुसार वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा।
11. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा तीन वर्षो तक को कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी ।
12. किसी भी प्रकार की भूमि विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।
13. स्थल पर वर्तमान वृक्षों को यथावत रखा जावे।
14. जल—मल निकास की व्यवस्था मानचित्र में दर्शाए अनुसार एवं प्रदूषित जल का निस्तार स्वंय के व्यय पर अन्यत्र निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जावें । किसी भी प्रकार का प्रदूषित जल परिसर के बाहर प्रवाहित नहीं किया जा सकेगा।
15. परिसर से जनित होने वाली समस्त पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाना एवं करना अनिवार्य होगा । आवेदित भूमि के समक्ष स्थित मार्ग की किसी भूमि पर कोई वाहन पार्क नहीं हो सकेंगे ।
16. इस विकास अनुज्ञा को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे ।
17. अनुमादित विकास अनुज्ञा की एक सत्यापित प्रति/सत्याप्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।
18. स्थल पर विकास अनुज्ञा अनुमोदन संबंधी जानकारी 5X4 फुट साईज बोर्ड पर भी अंकित कर रखना अनिवार्य होगा।
19. संलग्न विकास अनुज्ञा में प्रश्नाधीन स्थल को तथा दर्शाए गये मार्ग की निरंतरता को सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः मार्गो को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल या अन्य किसी प्रकार से अवरूद्ध न किया जावे ।
20. किसी भी प्रकार के जल की निकासी बड़े तालाब की ओर प्रतिबंधित रहेगी जिसका उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञा रिव्होक कर दी जावेगी ।
21. किसी प्रकार का ठोस अपशिष्ट परिसर के आसपास भूमि पर फैकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा ।
22. यह अनुज्ञा अहतांतरणीय होगी ।

23. उपरोत किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर यह अनुमति/अनुज्ञा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 25 के प्रावधानों के तहत रिव्हाक कर दी जावेगी ।
24. प्रस्तावित स्थल पर केटरिंग का कार्य केवल वे केटरर ही कर सकेंगे जिनके पास फूड लायसेंस हो।
25. प्रश्नाधीन स्थल पर प्रस्तावित आयोजन में 1500 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम .... व्यक्तियों हेतु ही कार्यक्रम एक समय में किया जाये।
26. नगर निगम/जिला प्रशासन द्वारा व्यवसाय का लायसेंस प्रदत्त किये जाने के पूर्व निर्धारित सुरक्षा निधि जमा कराई जाये जो कि उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर इसे राज सात कर लिया जाये एवं लायसेंस को अस्थाई रूप से स्थगित की जाये तथा शर्त का पालन होने पर लायसेंस को पुर्नजीवित किया जा सकेगा।यह सुरक्षा निधि ऐसी दर से जमा कराई जायेगी जैसा नगरनिगम/ जिला प्रशासन द्वारा नियत की जाये।
27. प्रश्नाधीन स्थल पर प्रस्तावित गतिविधि से जनित होने वाले सीवेज को नगर निगम की सीवेज लाइन से आवश्यक रूप से जोड़ा जाये, ताकि इसका समुचित शोधन, वॉटर (प्रीवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल आफॅ पॅाल्यूशन) एक्ट–1974 के प्रावधानों के अंतर्गत सुनिश्चित किया जा सके। नगर निगम की सीवेज लाइन क्षेत्र में उपलब्ध ना होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि जनित सीवेज का स्वयं के व्यय पर नगर निगम द्वारा अधिसूचित सीवेज कलेक्शन स्थल तक परिवहन करे अथवा सीवेज का कलेक्शन एवं शोधन स्वयं करें। बगैर शोधित किये सीवेज का निकास पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। स्थल पर जनित सीवेज का निस्तारण शोधन 24 घण्टे के अन्दर सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
28. स्थल पर अनुज्ञा के आधार पर किये जाने वाले प्रस्तावित व्यवसाय से ज़नित ठोस अपशिष्ठ /प्लास्टिक अपशिष्ठ का निस्तारण नगर निगम के संग्रहण एवं निस्तारण की प्रकिया के तहत, म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैण्डलिंग) नियम 2000 तथा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट एण्ड हैण्डलिंग रूल्स 2011, के प्रावधानों के तहत किया जाये। नगर निगम ठोस अपशिष्ट संग्रहण व्यवस्था के अनुपलब्ध होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को स्वयं के व्यय पर ठोस अपशिष्ठ/प्लास्टिक अपशिष्ठ को नगर निगम द्वारा अधिसूचित स्थल तक निस्तारण हेतु परिवहन किया जाना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनुज्ञाधारी के विरूद्ध उक्त नियमों के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा सकेगी। स्थल पर जनित ठोस अपशिष्ठ का निस्तारण, 48 घन्टे के अन्दर सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
29. स्थल पर उपयोग किये जाने वाले डी.जी. सेट/जनरेटर्स मानक स्तर के होने तथा Harardous Waste (Managment Handling and Trans-Boundary)Rules 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।
30. ध्वन प्रसारक यंत्री/ डी. जे./ म्यूजिक सिस्टम पटाखों का उपयोग Noise Pollution (Regulation and control) Rules 2000 एवं मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 के मानक स्तर एवं प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
31. स्थल पर आयोजित कार्यक्रमों के लिये दौरान सड़को पर यातायात में अवरोध उत्पन्न करना एवं ध्वनि प्रसारक यंत्रों/ डी. जे./ म्यूजिक सिस्टम/ पटाखों का उपयोग सार्वजनिक स्थल एवं सड़को पर किया जाना प्रतिबंधित रहेगा एवं विशेष परिस्थिति में मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित थाने से पूर्वानुमति आवश्यक होगी।
32. नान रीसाईक्लेबल व बायोडीग्रेडेबल कचरे अपशिष्ट के संधारण के लिए अलग–अलग पेटियों का प्रबंध रखना अनिवार्य होगा।
33. मैरिज गार्डन क्षेत्र प्लास्टिक फ्री जोन के रूप में कार्य करने हेतु प्रेरित करेगा व विशेष रूप से डिस्पोजेबल के रूप में थर्मोकॉल, प्लास्टिक अथवा अन्य नॉन बॉयो डिग्रेडिबल मटेरियल

के प्लेट, ग्लास, कटोरी, चम्मच, थाली इत्यादि का प्रयोग ना हो। उक्त के स्थान पर पर्यावरण मित्र सामग्री से बनाए गए बॉयो डिग्रेडिबल मटेरियल का ही उपयोग किया जावे।

34. स्थल पर पानी की पूर्ति के लिए बोर करने के पूर्व संबंधित विभाग से अनुमति/अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा।
35. मैरिज गार्डन में अग्नि शमन यंत्र मैरिज गार्डन की क्षमता अनुरूप रखना आवश्यक होगा।
36. विवाह स्थल पर जो भी आगंतुक वाहन से आयेंगे, उसके संबंध में मैरिज गार्डन संचालक/मालिक इस तरह की व्यवस्था करेगा, कि आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों को किसी भी प्रकार की क्षति/नुकसान, पर्यावरण को नुकसान/क्षति नहीं हो।
37. स्थल पर रखे जाने वाले कंटेनरों में ढक्कन होना अनिवार्य होगा ताकि कचरें की सड़न व बदबू रोकी जा सकें ।
38. मैरिज गार्डन जिस क्षेत्र में स्थित है, उस क्षेत्र के आस-पास यदि कोई तालाब या कोई ऐतिहासिक इमारत हो तो, उस क्षेत्र के मैरिज गार्डन के लिए यह प्रतिबंध रहेगा कि मैरिज गार्डन में जो भी समारोह हो, उससे तालाब में किसी प्रकार का प्रदूषण न हो तथा ऐसा कोई भी प्रदूषण न हो, जिससे पर्यावरण को नुकसान पैदा हो।
39. किसी प्रकार का ठोस अवशिष्ठ परिसर के आसपास भूमि पर फैंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा लायसेंसधारी किसी भी परिस्थिति में, वहां से जनित होने वाले सूखे व गीले कचरे को, रोड़ फुटपाथ, खुले स्थान पर, नालों में या नगर निगम द्वारा रखी गयी सार्वजनिक कचरा पेटियॉ (Street bins) या कंटेनरों में नहीं फेंकेंगे ।
40. इस अनुज्ञा को व्यापार स्थल में फ्रेमिंग कर उपर्युक्त स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
41. कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल के पत्र कमांक ....दिनांक .... द्वारा जारी अनापत्ति की समस्त शर्तो का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
42. कार्यालय जिलाध्यक्ष (नजूल शाखा) जिला भोपाल के प्रकरण कमांक .... दिनांक .... द्वारा की गई अनापत्ति की समस्त शर्तो का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन मध्यप्रदेश